अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा

-9-

05.07.2025

अपीलकर्त्ता- दिगम्बर कुँवर एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादी- आदित्य कुमार सिंह एवं अन्य

-: आदेश :-

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया।

वर्त्तमान अपीलवाद विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा के मुटेशन अपील वाद संख्या-32/2018-19 राजीव सिंह एवं अन्य, बनाम् दिगम्बर कुँवर एवं अन्य में दिनांक- 07.12.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध श्रीमान् उपायुक्त महोदय गोड्डा के न्यायालय में रिविजन वाद दायर किया गया जिसे सुनवाई के पश्चात् उपायुक्त महोदय द्वारा रिविजन वाद अंगीकृत करने के पश्चात् दिनांक- 05.09.2023 को विषयगत वाद अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में विचारण हेतु हस्तांतरण किया गया है। विषयगत वाद में पक्षकारों को नोटिश निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग की गयी।

उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए विपक्षीगण की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गई है। अपीलकर्त्तागण का कथन है कि मौजा-महगामा, नं०-700 के खाता संख्या-130, दाग नं०-986 रकवा- 01-01-09 धूर दाग नं०-989 रकवा-01-05-06 धूर कुल रकवा 02-06-15 धूर गेंजर सर्वे पर्चा में मकेसर सिंह वल्द शिवनारायण सिंह के नाम से दर्ज है। आदेवक द्वारा अपील आवेदन मे जमाबंदी रैयत से सम्बद्ध स्थापित करते हुए बंशावली प्रदर्शित किया है। अंचल अधिकारी महगामा ने उपरोक्त वंशावली के आधार पर मुटेशन केस नं०-17/2003-04 में दिनांक-21.11.2013 को आदेश पारित किया है जिसके आधार पर वर्णित भूमि पर वादीगण का स्वमित्व प्राप्त है। आगे उल्लेख करते है कि दाखिल-खारीज अपीलवाद 32/18-19 का समय सीमा समाप्त हो चुकी थी और एस्टोपल के सिद्धांत से भी प्रभावित है। निचली अदालत में राजीव सिंह का यह मामला था कि वह मो० खेखरी का दत्तक पुत्र है जबकि वास्तविक यथ्य यह है कि मो० खेखरी को कोई संतान नही था और उसने कभी किसी को गोद नही लिया। इस तरह राजीव सिंह पूर्ण रूप से बाहरी व्यक्ति है, और जमाबंदी रैयत से उनका कोई संबंध नही है। नीचली अदालत में गोद लेने का कोई प्रमाण समर्पित नही किया जो उसके दावे का मुख्य आधार था। राजीव सिंह आज भी किशोरी सिंह के पुत्र के रूप में जाने जाते है, जबकि खेखरी के पति का नाम कटकी सिंह है। आगे कथन है कि सहायक बंदोवस्त बंदोवस्त पदाधिकारी, गोड्डा के आपत्ति वाद संख्या 344/2015 में राजीव सिंह के नाम को गलत प्रविष्टि के कारण आदेश दिनांक-16.05.2016 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार नए सर्वे सेटलमें पर्चा में केवल

अपीलकर्त्ताओं का नाम दर्ज है राजीव सिंह का नाम को हटा दिया गया है। जी०एम०, गोड्डा श्री डी०एन० पाण्डेय की अदालत के केस नं०-524/91 में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में राजीव सिंह उर्फ अद्री सिंह ने स्वयं अपने पिता का नाम किशोरी सिंह बताया है। आगे उल्लेख करते है कि राजीव सिंह उर्फ अद्री सिंह की मृत्यु के पश्चात् उत्तराधिकारी नियुक्त किये बिना भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा आदेश पारित किया गया है इसलिए अपील स्वीकार करते हुए माननीय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा के मुटेशन अपली सं०- 32/2018-19 में दिनांक-07.12.2021 के आदेश को निरस्त करते हुए अंचल अधिकारी, महगामा का मुटेशन केस नं०-17/2003-04 में पारित आदेश बरकरार रखने की प्रार्थना करते है।

आपत्तिकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा-महागामा, नं०-700 के खाता संख्या-130, दाग नं०-986 रकवा- 01-01-09 धूर दाग नं०-989 रकवा-01-05-06 धूर कुल रकवा 02-06-15 धूर गेंजर सर्वे पर्चा में मकेसर सिंह वल्द शिवनारायण सिंह के नाम से दर्ज है। अपील आवेदन के पैरा-1 एवं 2 मे जो वंशावली प्रदर्श किया है वह सही नही है। दरअसल वंशावली तालिका में कटकी सिंह को नि:संतान दर्शाया गया है, लेकिन सत्य यह है कि कटकी सिंह की मृत्यु के बाद उनकी विधवा खेखरी देवी और एक पुत्री मोदनी देवी थी, कटकी सिंह की मृत्यु के बाद खेखरी देवी और मोदनी देवी को कटकी सिंह की सम्पूर्ण चल एवं अचल संपत्ति विरासत में प्राप्त हुई। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि विषयगत भूमि गेंजर पर्चा में मकेसर सिंह के नाम दर्ज है, जिनकी मृत्यु के बाद उनका एक पुत्र सुखदेव सिंह हुआ जो अपने मृत्यु के बाद अपने पीछे क्रमशः तीन पुत्र यथा- भगवान सिंह, कपुरी सिंह एवं कटकी सिंह तथा दो पुत्री गंगा देवी व यमुना देवी को छोड़कर फौत कर गये। भगवान सिंह, कपुरी सिंह और गंगा देवी, नि:संतान मर गए जबकि कटकी सिंह अपने पीछे विधवा खेखरी और पुत्री मोदनी देवी को छोड़ कर स्वर्गवास कर गये। इस प्रकार जमाबंदी नं० संख्या-130, के सम्पूर्ण भूमि का स्वामित्व कटकी सिंह की विधवा मो० खेखरी एवं पुत्री मोदनी देवी को विरासत में प्राप्त हुई। कालांतर में मोदनी देवी की भी मृत्यु हो गई और उनके एक बेटा राजीव सिंह उर्फ आद्री सिंह था जो अपने पीछे तीन पुत्र हुए यथा- अजीत कुमार सिंह, जितेन्द्र सिंह एवं रोबिन कुमार सिंह हुए। अपीलकर्त्ताओं ने तथ्य को छुपाकर तीसरे पुत्र को पक्षकार नही बनाया। दूसरी ओर सुखदेव सिंह की पुत्री यमुना देवी का विवाह कार्तिक कुँवर से हुआ था जो परिवार लेकर अलग अपने ससुराल में रहा करती थी। आगे उल्लेख करते है कि अपीलकर्त्ताओं ने तथ्य को छुपा कर अंचल अधिकारी के कार्यालय कर्मी से मिलकर घोखाधड़ी करके जमाबंदी नं०-130, प्लॉट नं०-986 कुल रकवा 00-06-00 धूर भूमि का नामांतरण गोतिया/ सगे-संबंधी से नोटिश छिपाकर अपने पक्ष में करने में कामयाब हो गया और जब इसकी जानकारी प्रतिवादी

को हुआ तो प्रतिवादी/अपीलकर्त्ता बनकर माननीय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा के न्यायालय मे मुटेशन अपील वाद संख्या-32/2018-19 दायर किया। माननीय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा ने अपीलार्थी/प्रतिवादी को नोटिश जारी किया और पक्षो को सुनने के वाद तथा निम्न न्यायालय के केस रिकोर्ड का अवलोकन के पश्चात् अनेक त्रृटि परिलक्षित होने के उपरांत अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा दाखिल-खारीज वाद संख्या-17/2003-04 आदेश दिनांक-21.11.2003 को रद्द कर दिया गया। इस प्रकार विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता मह गामा अवर अपीलीय न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है, अपीलीय आदेश में कोई अनियमितता या त्रुटि नही है। आदेश पूर्णत: युक्ति संगत है, अत: वर्त्तमान अपील स्वीकारर्य योग्य नही है इसे खारिज करने का अनुरोध करते है।

-: निष्कर्ष :-

सभी पक्षकारों द्वारा किया गया विवेचन, दाखिल लिखित बहस एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों/ साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता द्वारा निम्न न्यायालय से हट कर अपने दावे के समर्थन मे ऐसा कोई साक्ष्य/ सबुत पेश नही किया जिससे यह प्रमाणित हो कि विद्वान भूमि सुधार उप सताहर्त्ता, महागामा द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है। निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह प्रगट होता है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा के क्रि०रिभीजन सं० 53/94, मुक्ति कुमार बनाम् मो० खेखरी के शपथ-पत्र दिनांक- 03.02. 1988 के सारणी (क), (ख), (ग) एवं (घ) के आधार पर दाखिल-खारिज किया गया है जिसका विवरण निम्न है-

जमाबंदी नं0 130, मौजा–महगामा, नं0 700, तौजी नं0 462, थाना–महगामा के अन्दर				
क्र0	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा	दखल
1	2	2	3	4
क	130	**986**	00-01-10	मुक्ति कुॅवर, पेसर- कार्तिक कुॅवर
ख	130	**989**	00-01-10	श्री कुॅवर, पेसर- कार्तिक कुॅवर
ग	130		00-01-10	गोकुल कुॅवर, पेसर- कार्तिक कुॅवर
घ	130		00-01-10	अनिल कुॅवर, पेसर- कार्तिक कुॅवर

जैसा कि उल्लेख है कि मो० खेखरी द्वारा दान स्वरूप आवेदक को भूमिहीन होनक के कारण दिनांक- 03.02.1988 को शपथ-पत्र के माध्यम से **दाग नं०-986** के अन्दर रकवा 00-01-10 धूर भूमि एवं **दाग नं०-989** के अन्दर रकवा 00-04-10 धूर भूमि दान स्वरूप दिया गया है, किन्तु आवेदकगण दानित भूमि को छोड़कर जमाबंदी नं०-130 के दाग नं०-986 के

अन्तर्गत अंश रकवा 00-06-00 धूर भूमि का नामांतरण करा लिया गया है, जो प्रथम दृष्टवा गलत प्रतीत होता है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेखबद्ध दस्तावेज का अवलोकन के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय का मुटेशन अपीलवाद संख्या- 32/2018-19 राजीव सिंह बनाम् दीगंबर कुँवर एवं अन्य से संबंधित मामला में दिनांक- 07.12.2021 को पारित आदेश न्यायसंगत है इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता महसुस नही होता है।

अतः विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय का मुटेशन अपीलवाद संख्या- 32/2018-19 राजीव सिंह बनाम् दीगंबर कुँवर एवं अन्य में दिनांक-07.12.2021 को पारित आदेश बरकरार रखते हुए वर्त्तमान अपीलवाद खारिज किया जाता है असंतुष्ट पक्षकार सक्षम न्यायालय में जा सकते है।

लेखापित एवं संशोधित।

05.07.25

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

05.07.25

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

Digitally signed by localhost
Date: 2025.10.17 14:17:36 +05:30
Location: 192.168.1.4